न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, चन्दौली।
उपस्थितः श्री विकास वर्मा-I, एच.जे.एस.।   J.O.I.D.NO-U.P.6495
सत्र परीक्षण संख्या-78/2019

UPCD010013202019

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

।। **बनाम** ।।

नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर निवासी ग्राम तेन्दुई थाना सकलडीहा, जिला चन्दौली। ....अभियुक्त।

मु.अ.सं.: 148 सन् 2017
धाराः 452,376/511,354ख भा.दं.सं.,
थानाः सकलडीहा,
जनपदः चन्दौली।

अभियोजन की ओर से- श्री अवधेश कुमार पाण्डेय विद्वान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी।

अभियुक्त की ओर से- श्री शिव प्रकाश पाण्डेय एडवोकेट व श्री प्रशान्त तिवारी एडवोकेट।

निर्णय

सत्र परीक्षण संख्या-78/2019 सरकार बनाम नीरज राजभर के वाद में थाना-सकलडीहा, जनपद-चन्दौली की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-148/2017 धारा-452, 376/511, 354ख भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर निवासी ग्राम तेन्दुई थाना सकलडीहा, जिला चन्दौली के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किये जाने पर यह सत्र परीक्षण प्रारम्भ किया गया है।

Digitally signed by VIKAS VERMA
Date: 2026.04.02 11:17:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. भारतीय दंड संहिता 228-क में उल्लिखित उपबन्धों व **ओम प्रकाश बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2006(4) सुप्रीम कोर्ट 313, प्रेमिया बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2008(63) ए.सी.सी.94 एस.सी. व स्टेट आफ उड़ीसा बनाम सुकुल गौड़ा ए.आई.आर. 2009 एस.सी.1019 एवं निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2019) 2 एस.सी.सी. 703** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था एवं निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में वादिनी मुकदमा को उसके नाम के बजाय ''पीडिता'' शब्द से निर्णय में संबोधित किया जायेगा।

<u>घटना का विवरण</u>

दिनांक	महत्वपूर्ण घटना
08.09.2017	वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
08.09.2017	वादिनी मुकदमा के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त नीरज राजभर के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया।
19.09.2017	अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली के न्यायालय में प्रेषित किया गया।
15.02.2018	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया।
29.04.2019	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा पत्रावली उपार्पित की गयी।
08.08.2019	अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किया गया।
21.08.2019	साक्षी पी.डब्लू. 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की मुख्य परीक्षा व आंशिक प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी तथा दिनांक 07.01.2020 को उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गयी।
05.03.2020	साक्षी पी.डब्लू. 2 की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी।
20.01.2021	साक्षी पी.डब्लू. 3 की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी।
04.02.2021	साक्षी पी.डब्लू. 4 की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी।
08.11.2021	साक्षी पी.डब्लू. 5 की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी।
27.02.2026	साक्षी पी.डब्लू. 6 की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी।
28.03.2026	अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता पत्नी स्व0 गुड्डू राजभर निवासी ग्राम तेन्दुई थाना सकलडीहा जिला चन्दौली ने इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दिया कि वह पता उपरोक्त का मूल निवासिनी है तथा जाति की भर है। प्रार्थिनी गरीब एवं विधवा महिला है। दिनांक 06.09.2017 को समय करीब 11:45 बजे रात्रि स्थान

प्रार्थिनी के घर की है कि विपक्षी नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर निवासी तेन्दुई, हाल पता दुर्गापुर थाना सकलडीहा जिला चन्दौली बदनियती से प्रार्थिनी का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आया, प्रार्थिनी अपनी बच्ची निशा आयू 12 वर्ष व मनीषा आयू 8 वर्ष के साथ घर में सोई थी। प्रार्थिनी की नीद खुल गयी विपक्षी प्रार्थिनी के साथ बलात्कार करना चाहा शोर करने पर विपक्षी किसी से नहीं कहने की धमकी एवं जान मारने की धमकी दिया। शोर करने पर अगल बगल की महिलाए एवं लोग जुट गये, विपक्षी का पकड़ लिया गया। 100 नंबर पर फोन किया गया मौके पर पुलिस पहुंची, विपक्षी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी के साथ दूसरी बार घटना किया गया है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं किया था, समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। ऐसी कई घटनाएं आस पड़ोस में विपक्षी द्वारा किया जा चुका है। प्रार्थिनी के जान माल, इज्जत आबरू पर खतरा बना हुआ है। प्रार्थिनी लाचार होकर श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र दे रही है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि परिस्थिति उपरोक्त के आधार पर विपक्षी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही किया जाये, प्रार्थिनी की मदद करके न्याय किया जाये।

4. वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय को दी गयी उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना सकलडीहा, जिला चन्दौली में मु.अ.सं. 148/2017 धारा 452, 376, 511 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त नीरज राजभर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

5. मुकदमें की विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक एफ.आई.आर. का अवलोकन किया गया तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता व अन्य साक्षीगण का बयान अंकित किया गया। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नीरज राजभर के विरूद्ध धारा-452, 376/511, 354ख भारतीय दण्ड संहिता का आरोप-पत्र न्यायालय में इस याचना के साथ दाखिल किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध सुनवाई कर उसे दण्डित किया जाये।

6. आरोप-पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 15.02.2018 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोप-पत्र में अंकित धाराओं में अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं तथा पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी। तत्कालीन न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली द्वारा

दिनांक 08.08.2019 को अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा धारा–452, 376/511, 354ख भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में **साक्षी पी.डब्लू. 1** पीड़िता/वादिनी मुकदमा, **पी.डब्लू. 2** सोनी देवी, **पी.डब्लू. 3** डा0 बृज किशोर प्रसाद, **पी.डब्लू. 4** उर्मिला देवी, **पी.डब्लू 5** चन्दा देवी व **पी.डब्लू 6** उ0नि0 जयकरन सरोज को परीक्षित कराया गया तथा शेष अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया।

8. अभियोजन प्रपत्रों एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा निम्नलिखित कुल 06 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। अवलोकन में सुविधा को दृष्तिगत रखते हुए अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों एवं उनके द्वारा साबित प्रपत्रों को निम्नवत सारणीवद्ध किया जा सकता है–

क्र.सं.	साक्षी	साक्षी का विवरण	मौखिक साक्ष्य
1	पी0डब्लू–1	वादिनी मुकदमा/पीड़िता	तहरीर को प्रदर्श क–1 व 164 दं.प्र.सं. के बयान को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।
2	पी0डब्लू–2	सोनी देवी	पक्षद्रोही साक्षी
3	पी0डब्लू–3	डा0 बृज किशोर प्रसाद	पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट को क्रमशः प्रदर्श क–3 लगायत प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।
4	पी0डब्लू–4	उर्मिला देवी	पक्षद्रोही साक्षी
5	पी0डब्लू–5	चन्दा देवी	पक्षद्रोही साक्षी
6	पी0डब्लू–6	उ0नि0 जयकरन सरोज	नक्शा नजरी को प्रदर्श क–7 व आरोप पत्र को प्रदर्श क–8, एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–9 व कायमी जी0डी0 को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के अन्य प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है।

9. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त किया गया।

10. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्त का कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं अंकित किया गया। अभियुक्त ने तहरीर को गलत

बताया है तथा अभियोजन साक्षियों द्वारा साबित प्रपत्र को भी गलत तरीके से साबित किया जाना बताया है। अभियुक्त ने मुकदमा राजनीति द्वेषवश राजनीकि बदले की भावना से फर्जी ढंग से परेशान व बर्बाद करने की नियत से मुकदमा दबाव बनाकर दर्ज कराया गया है तथा आगे कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे राजनीति दबाववश गलत ढंग से फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया, तत्पश्चात उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

11. अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये साक्षीगण ने अभियुक्त पर आरोपित उक्त आरोपों को कहां तक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है।

12. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू-1** वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षा में संक्षेप में कथन किया है कि-घटना आज से दो वर्ष पुरानी रात्रि की 12 की है। नीरज राजभर सिरेहूपुर के रहने वाले हैं लेकिन अब दूसरे गांव में रहते हैं। घटना दिनांक को अभियुक्त मेरे घर में ताला तोड़कर घुस गया। मैं और मेरी पुत्री निशा व मनीषा घर के आंगन में सोई थी। नीरज मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था तब मैं जग गयी और शोर किया तो मुल्जिम ने कहा कि मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा घर बनवा दूंगा व हैण्डपम्प लगवा देगें। मुल्जिम ने कहा कि हल्ला करोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे शोर करने पर अगल बगल के बहुत से लोग आ गये तो हम लोगों ने अभियुक्त नीरज को पकड़कर घर में बांध दिया। मेरी लड़की ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया तो पुलिस आ गयी और नीरज को पकड़कर थाने ले गयी। इसके पूर्व मुल्जिम ने धमकी दिया था और कोई घटना नहीं किया था। इसके पूर्व भी अभियुक्त ने गांव के दो औरतों के साथ छेड़खानी किया था। घटना की सूचना थाने पर मैंने प्रभात राजभर से प्रार्थना पत्र लिखवाकर उस पर अपना निशानी अंगूठा लगाकर दिया था। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के यहां बयान हुआ था। शामिल मिसिल तहरीरी रिपोर्ट का0सं0 4अ/4 पर लगे अंगूठा निशानी की शिनाख्त किया जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। उपरोक्त बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब के यहां दिया था। शामिल मिसिल बयान 164 दं.प्र.सं. का0सं0 18क को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने फोटो व निशानी अंगूठा की पहचान व शिनाख्त किया जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।

13. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू-2 सोनी देवी पत्नी सियाराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि-मेरा घर गुड्डू राजभर के घर के पास ही है।

दिनांक 06.09.2017 की रात्रि मं घर में मैं सोयी थी, करीब 12 बजे रात में शोरगुल की आवाज हुई। शोरगुल की आवाज सुनकर मैं गुड्डू राजभर के घर के पास गयी तो देखा कि पीड़िता की लड़की निशा जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष थी, वहां पर थी। मेरे गांव का नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर निशा की मां पीड़िता के साथ गलत करने हेतु जबरदस्ती कर रहा था। वहां पर निशा के अलावा पीड़िता की लड़की मनीषा भी थी। शोरगुल सुनकर मेरे साथ उर्मिला देवी, सन्तरा देवी आदि तमाम लोग मौके पर आ गये तथा इस घटना को देखे। इस घटना की सूचना 100 नंबर पर दी गयी जिस पर पुलिस आयी और नीरज राजभर को पकड़ ले गयी। नीरज राजभर अय्याश प्रवृत्ति का एवं मनबढ़ किस्म का है। इस प्रकार की घटना वह कई बार कर चुका है, लेकिन कुछ लोकलाज वश छुपा दिये। इस घटना को मैं तथा मेरे अलावा गांव के लोगों ने देखा। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

14. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–3 डा0 बृजकिशोर प्रसाद चिकित्साधिकारी सी.एच.सी. सकलडीहा** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–दिनांक 08. 09.2019 को मैं बतौर मेडिकल आफिसर सी.एच.सी. सकलडीहा पर तैनात था। उस दिन मैंने पीड़िता निवासी तेंदुईपुर जनप चन्दौली उम्र 37 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। उसे महिला का0 सी.पी. 163 लेकर अस्पताल पर आयी थी। मेडिकल रिपोर्ट मैंने अपने हस्तलेख में तैयार किया, जिस पर पीड़िता का दोनों हाथों का निशानी अंगूठा बनवाया गया था। रिपोर्ट मूल रूप से पत्रावली में संलग्न है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–3 लगायत प्रदर्श क–6 डाला गया। पीड़िता के बांये हाथ की कानी अंगूली में सूजन एवं दर्द की शिकायत थी। विवेचक मेरा बयान लिये थे।

15. उक्त साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षा** में संक्षेप कथन किया है कि–मैंने उसी दिन नीरज राजभर का भी मेडिकल किया था। नीरज के बांये हाथ की केहुनी में चोट थी तथा उसके बांये आंख के नीचे नीलगू चोट के निशान था। नीरज की चोट में खून की परत जमा हुआ था, जिसे ब्लड क्लाट कहते हैं। पीड़िता को चोट को देखकर यह परिभाषित नहीं किया जा सकता कि यह चोट कितनी पुरानी थी। पीड़िता का मैंने आंतरिक परीक्षण नहीं किया था।

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त साक्षी जो कि मात्र औपचारिक साक्षी है, इन्होंने अपने मुख्यपरीक्षा से अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया किया है।

17. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–4 उर्मिला देवी पत्नी अम्बेलाल** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–घटना लगभग तीन वर्ष पांच माह पूर्व की है। रात के करीब 12 बजे का समय था। पीड़िता का घर मेरे घर से सटा दक्षिण है। वे मेरी देवरानी है। रात में करीब 12 बजे शोर सुनकर मैं वहां गयी तो देखी कि नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर पीड़िता को गलत काम करने की नियत से खींच रहे थे और गलत काम करने का प्रयास कर रहे थे। वहां गांव के अगल बगल के लोग आ गये थे तो नीरज कुमार भागने लगे तो लोगों ने उनको पकड़ लिया उसके बाद लोग 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई और नीरज राजभर को पकड़कर ले गयी। नीरज राजभर गांव के अन्य महिलाओं के साथ इस तरह का काम करने का प्रयास किये थे लेकिन लोकलाज के भय से किसी ने इनके विरूद्ध रिपोर्ट नहीं लिखायी। दरोगा जी घटना के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ किया था। नीरज राजभर पीड़िता के दरवाजे का कुण्डी तोड़कर उनके घर में घुसा था।

18. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–5 चन्दा देवी पत्नी स्व0 राजेश** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–दिनांक 06/07.09.2017 की रात करीब 12 बजे पीड़िता के यहां शोर शराबा सुनकर मैं भी वहां चली गयी थी। वहां मैं किसी को नहीं देख पायी थी। मैं नीरज राजभर को घटना घटना वाली जगह नहीं देखी थी। कुछ लोगों को बात करते हुए सुनी थी कि नीरज राजभर पीड़िता देवी के घर में घुसकर गलत काम करने का प्रयास किया था। मेरे सामने नीरज राजभर को गांव के लोगों ने पकड़कर नहीं रखा था। पीड़िता भी मुझसे यह बात नहीं बतायी थी कि घटना वाली रात नीरज राजभर मेरे घर में घुसकर दरवाजा तोड़कर मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास कर रहा था। नीरज राजभर मेरे साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था और न ही कभी गलत काम करने का प्रयास ही किया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

19. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–6 उ0नि0 जय करन सरोज,** वर्तमान तैनाती चौकी कमालपुर थाना धीना जनपद चन्दौली ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–मैं बतौर उप निरीक्षक चौकी ईचाज कमालपुर के पद पर रहते हुए थाना सकलडीहा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–148/2017 धारा–452,376,511 IPC की विवेचना मुझ उप निरीक्षक को सुपूर्द की गयी। विवेचना क्रम में दिनांक 08.09.2017 को मुकदमा उपरोक्त का पर्चा नं–1 में नकल तहरीर, नकल रपट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर केस डायरी में अंकित

किया। तत्पश्चात मुकदमा वादिनी जो थाना कार्यालय में मौजूद का बयान लेते हुए केस डायरी में अंकित किया तथा अभियुक्त नीरज राजभर जो हवालात में निरूद्ध था का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया तथा अभियुक्त नीरज राजभर के 14 दिवसीय रिमांड को स्वीकृत करने की याचना की गयी। दिनांक 13.09.2017 को पर्चा नं-2 किता किया। विवेचना के क्रम में थाना हाजा से रवाना होकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के ग्राम तेन्दुई मजीद बयान हेतु पहुंचा। वादिनी अपने परिजनों के साथ घर पर मौजूद मिली जिनका बयान लेते हुए केस डायरी में अंकित कर वादिनी से घटनास्थल का निरीक्षण कराने हेतु कहा गया तो सहर्ष तैयार हुई, वादिनी के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके का एक नक्शा नजरी तैयार किया। शामिल मिसिल नक्शा नजरी कागज सं. 8अ/1 को देखकर साक्षी ने कहा यह वहीं नक्शा नजरी है जिसकों में वादिनी के निशानदेही पर दिनांक 13.09.2017 को अपने स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जिसपर **प्रदर्श क-7** डाला गया। दिनांक 14.09.2017 को पर्चा नं.-3 में लिखित प्रतिवेदन पर पीड़िता का धारा 164 crpc के बयान की अवलोकन हेतु माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर पीडिता का धारा 164 crpc के बयान का अवलोकर कर उसे केस डायरी में अंकित किया। तत्पश्चात न्यायालय से रवाना होकर थाना हाजा आया और थाने में उपस्थित FIR लेखक हेड का0 होरी लाल का बयान लेते हुए उसे केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 15.09.2017 को पर्चा नं-4 किता किया। मुकदमा उपरोक्त संबंधित अन्य गवाहान सोनी पुत्री सियाराम, उर्मीला देवी पत्नी अम्बेलाल तथा संतरा देवी पत्नी स्व0 राजेश सभी निवासीगण ग्राम तेन्दुई थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली का बयान लेते हुए उसे केस डायरी में अंकित किया। तत्पश्चात थाना सकलडीहा आकर मुकदमें से संबंधित पीड़िता के मेडिकल प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर उसे केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 19.09.2017 को पर्चा नं-5 किता किया। मुकदमा विदिनी के तहरीर, बयान तथा पीड़िता के धारा 164 crpc का बयान एवं अन्य गवाहों के बयानात तथा निरीक्षण घटना स्थल एंव मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर निवासी ग्राम तेन्दुई थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली के विरूद्ध जुर्म धारा 452,376/511,354(b) IPC का अपराध बखुबी पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 82/2017 दिनांक 19.09.2017 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। शामिल मिसिल आरोप

पत्र कागज सं0 33/1 लगायत 3अ/2 मेरे स्वंय के हस्ताक्षर से कम्प्यूटरीकृत आरोप पत्र जिस पर मेरे हस्ताक्षर है मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। चुंकि मेरे संज्ञान में यह बात आयी है कि मुकदमा उपरोक्त के FIR लेखक हे0का0 होरी लाल का निधन हो चुका है जिनके द्वारा मुकदम उपरोक्त का FIR टंकित कराया गया था एंव GD भी कम्प्यूट पर टंकित किया गया था। मैंने कार्य लेख पर कार्य करते व लिखते पढ़ते देखा है। इसलिये द्वितीयक साक्ष्य के रूप में चिक FIR शामिल मिसिल कागज सं0 43/1 लगायत 43अ/3 तथा कायमी GD कागज सं0 53/1 की पुष्टि करता हूँ, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10** डाला गया। यहीं मेरा बयान है।

20. दौरान बहस अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाह परीक्षित कराए गए हैं, जिन्होंने अपने–अपने बयान से सम्बन्धित अभियोजन अभिलेख प्रदर्श–क–1 लगायत प्रदर्श क–10 को साबित किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए सभी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं तथा अभियुक्त को दण्डित करने की याचना की गयी।

21. अभियोजन की ओर से दिए गए उपरोक्त तर्क के खण्डन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने मात्र गवई राजनीति व रंजिशवश गांव के लोगों के बहकावे में आकर अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय को प्रार्थना पत्र दे दिया था। अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य के किसी भी साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं है। अभियुक्त निर्दोष हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त करने की याचना की गयी है।

22. मैंने राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया।

इस सत्र परीक्षण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि–क्या अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

<u>निष्कर्ष</u>

23. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 452, 376/511, 354ख भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्त पर यह आरोप है कि उभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर गृह अतिचार करते हुए उसके साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया तथा उसको विवस्त्र करने के आशय से उस पर आपराधिक हमला किया गया।

24. उक्त के सम्बन्ध में तथ्य साक्षी संख्याः-1 पीड़िता ने अपने **प्रतिपरीक्षा** में संक्षेप में कथन किया है कि- प्रभात राजभर मेरे बहनोई लगते हैं। प्रभात राजभर राज्य मंत्री अनिल राजभर जी के पी.आर.ओ. है। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ। **<u>प्रभात राजभर थाने पर आये थे वही एफआईआर लिखवाये थे। प्रभात राजभर अपने हाथ से तहरीर लिखकर दिये थे। मैं तहरीर नहीं पढ़ी थी। मुझे तहरीर लिखने के बाद पढ़कर सुनाये नहीं थे।</u>** तहरीर लिखने के बाद उस पर मेरा अंगूठा निशान लगवाये थे या पहले मुझे याद नहीं है। अगर प्रभात सुलह के लिए कहेंगे तो मैं देखूगी। **मुझे घटना की तारीख याद नहीं है समय याद है।** मेरे एक लड़की व एक लड़का है। मेरा लड़का घटना के पहले से ही मेरे जीजा प्रभात के घर रहता है। एफ.आई.आर में घटना का समय क्या लिखा है मैं नहीं बता सकती क्योंकि एफआईआर प्रभात ने लिखा है। मैंने घटना के दूसरे दिन सुबह घटना की एफआईआर लिखायी थी। यदि यह कहा जाये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घ टना के दो दिन बाद दर्ज करायी गयी है तो यह गलत होगा। यदि मेरे बयान में गांव के दो औरतों के साथ छेड़खानी की बात लिखी गयी है तो कैसे लिखी गयी है मैं नहीं बता सकती। मैंने दरोगा जी को अपने बयान में दो औरतों के साथ छेड़खानी वाली बात नहीं बतायी थी। अभियुक्त शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है। घटना के समय भी शादीशुदा था। **<u>नीरज मेरे उपर कोई हमला नहीं किया था। नीरज मेरे पहले हुए कपड़े को न तो छुआ था और न ही फाड़ा था। नीरज मेरे शरीर को नहीं छुआ था और न ही मेरे साथ जबरदस्ती किया था</u>**। यदि मेरे बयान में घर बनवा देने, हैण्डपम्प लगवा देने की बात लिखी है तो कैसे लिखी है, मैं नहीं बता सकती। **मेरे साथ कोई छेड़खानी या शारीरिक हमला अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया था। नीरज ने मुझे जबरदस्ती करने या जान से मारने की कोई धमकी नहीं दिया था।** मैंने अपने घर का ताला अन्दर से बंद किया था, वह तोड़ दिया गया था। **घटना वाले दिन मैंने नीरज को अपने घर की तरफ आते हुए नही देखा था। रात का समय था, हल्ला गुल्ला व खटपट की आवाज पर सब लोग इकट्ठा**

हो गये थे, उन लोगों के बताने व शंका के आधार पर मैंने अभियुक्त नीरज का नाम बता दिया था।

25. इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त साक्षी जो कि प्रस्तुत मुकदमें की वादिनी मुकदमा/पीड़िता है तथा जिसके साथ घटना घटित हुई थी, ने अपने प्रतिपरीक्षा में घटना का रंचमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

26. उक्त के सम्बन्ध में तथ्य के साक्षी संख्याः-2 सोनी देवी जो कि तथ्य का साक्षी है, ने अपने **प्रतिपरीक्षा** में संक्षेप में कथन किया है कि-मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। घटना जिस समय की है उस समय मैं अपने घर में सो रही थी। मेरा व पीड़िता का घर आस पास सटा है। पीड़िता घटना वाले दिन घर के अन्दर ताला बंद करके सोयी थी। शोरगुल की आवाज पर हम लोग मौके पर पहुंचे थे। **घ टना स्थल पर ताला अंदर से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से चोर चोर का हल्ला हुआ था। मैंने अपनी आंख से पीड़िता को छेड़ते हुए नीरज राजभर को नहीं देखा था। <u>लोगों के बताने के आधार पर मैंने अपना बयान दिया और नीरज का नाम लिया है। पीड़िता के घर के अन्दर का ताला कैसे टूटा था, मुझे नहीं मालूम है। मैंने दरोगा जी को बयान दिया था लेकिन जिस तरह का बयान मैंने दिया था वैसा बयान मेरा दरोगा नहीं लिखे हैं।</u>** नीरज की शादी घटना के समय हो गयी थी लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था। मैं अपने ससुराल रहती हूँ, इसलिए मुझे नीरज व उसके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। घटना स्थल पर परिवार के लोग ही आये थे, गांव घर का कोई नहीं आया था।

27. इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त साक्षी जो तथ्य का साक्षी है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में घटना का रंचमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

28. उक्त के सम्बन्ध में तथ्य के साक्षी संख्याः-4 उर्मिला देवी जो कि तथ्य का साक्षी है, ने अपने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि-घटना रात की है लेकिन कितने बजे की है ध्यान नहीं है। **हल्ला गुल्ला सुनकर नींद खुली तो चोर चोर का हल्ला हो रहा था सुनकर वहां गयी तो घर में सिर्फ पीड़िता का देखा था। <u>वहां पर नीरज राजभर नहीं था।</u>** मैं नीरज को अच्छी तरह से जानती पहचानती हूँ। **<u>मेरे सामने नीरज ने पीड़िता खीचा नहीं था और न ही गलत काम करने का प्रयास ही किया था। नीरज मौके पर नहीं था। मैंने लोगों के चर्चा करने व सुनी सुनाई बातो के आधार पर नीरज का नाम गवाही में बताया है।</u>** जब मैं जागकर मौके पर पहुंची तो वहां काफी अंधेरा था। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया

था। अपने बयान खास में जो बाते लिखायी है वह अपने वकील साहब के बताने के आधार पर लिखवाया है। सच्चाई यह है कि नीरज राजभर ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने का प्रयास या छेड़खानी नहीं किया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि नीरज राजभर के विरूद्व मुकदमा किसने लिखवाया है। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि प्रभात व नीरज के बीच घटना के समय किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था।

29. इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त साक्षी जो तथ्य का साक्षी है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में घटना का रंचमात्र भी समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि विवेचक को दिये गये बयान को गलत बताया है।

30. उक्त के सम्बन्ध में साक्षी संख्या 5 चन्दा देवी, जो कि तथ्य की साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का रंचमात्र समर्थन न करने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा की गयी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिले। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुकदमें की पीड़िता, जिसके साथ घटना घटित हुई है, ने अपने मुख्य प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का रंचमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा घटना से इंकार किया है।

31. चूंकि अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 1 पीड़िता ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का रंचमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा घटना से इंकार किया है। जहां तक अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये औपचारिक साक्षीगण का प्रश्न है तो उक्त साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षा से प्रस्तुत मुकदमें की अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। इस प्रकार अभिलेखीय प्रपत्रों को साबित कर लिये जाने मात्र के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल है कि उक्त साक्षीगण के कथन से किसी भी तरह की घटना की पुष्टि नहीं होती है। जब तथ्य के साक्षी खासकर स्वयं पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया है तो मात्र औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

32. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन इस तथ्य को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर

पाया है कि अभियुक्त नीरज राजभर द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर गृह अतिचार करते हुए उसके साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया तथा उसको विवस्त्र करने के आशय से उस पर आपराधिक हमला किया गया। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा-452, 376/511, 354ख भारतीय दण्ड संहिता को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र स्व0 वशिष्ट राजभर को सत्र परीक्षण संख्या-78/2019, मु.अ.सं. 148/2017, थाना सकलडीहा, जिला चन्दौली के अंतर्गत आरोपित आरोप अंतर्गत धारा-452, 376/511, 354ख भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं उसके जमानतनामें व बंध पत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मु0-25,000/- रूपये की दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल किया जा चुका है, जो अपील होने की दशाः में छः माह तक प्रभावी रहेगा। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-31.03.2026 (विकास वर्मा-I)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम,
चन्दौली।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-31.03.2026 (विकास वर्मा-I)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम,
चन्दौली।

Steno,
Kunwar Bahadur